



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय ए.एम.सी. लखनऊ (प्रथम पाली)

PM SHRI Kendriya Vidyalaya AMC Lucknow (FS)

निकट सोपखाना बाजार, लखनऊ-226002 Near Topkhana Bazar, Lucknow-226002

☎0522-2480595, 2480596, e-mail: kvamclko@rediffmail.com

Visit us: amclucknow.kvs.ac.in



फा.सं.26350/ 2025-26/पीएम श्री के.वि.ए.एम.सी.लखनऊ प्र.पा./

दिनांक:24/09/2025

कार्यालय-आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय) नई दिल्ली के पत्रांक संख्या F.11/55/200-KVS(Vig.)/PL/1122-25 दिनांक 05.03.2019 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4(2) के अनुपालन में पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय ए एम सी लखनऊ के सभी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु निम्नलिखित सदस्यों की आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) ICC के एतद्वारा गठन किया जाता है-

क्र.सं	नाम एवं पता	समिति में धारित पद	नाम एवं पता	समिति में धारित पद
1 st Shift			2 nd Shift	
1.	Mrs. Archana Jaiswal, KVS, RO, LKO	(Presiding Officer)	Mrs. Archana Jaiswal, KVS, RO, LKO	(Presiding Officer)
2.	Mrs. Rashmi Mishra, NGO Member	NGO सदस्य	Mrs. Rashmi Mishra, NGO Member	NGO सदस्य
3.	Ms. Manisha Gupta PGT (Phy), 1 st Shift	सदस्य	Mrs. Ghazaia Raza, PGT (Chemistry) 2 nd Shift	सदस्य
4.	Mrs. Shakuntala, TGT (Hindi), 1 st Shift	सदस्य	Mrs. Aarti Bamwal, TGT (Hindi) 2 nd Shift	सदस्य
5.	Mrs. Geeta Pandey, PRT, 1 st Shift	सदस्य	Mrs. Pooja Shukla, PRT, 2 nd Shift	सदस्य
6.	Mr. Manish K Srivastava Principal	सदस्य सचिव	Mr. Manish K Srivastava Principal	सदस्य सचिव

कार्यक्षेत्र:

- To enquire into the complaints of Sexual Harassment at workplace against the officials of the Vidyalaya except against the Principal, Vice Principal.
- To Conduct the preliminary/first stage enquiry into the complaints of Sexual Harassment against HM.

- एनजीओ सदस्य एवं समिति के अन्य सदस्यों से स्थापित कर जाँच की तिथि एवं समय निर्धारित करेंगे।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं पारित आदेश दिनांक 13.08.1997 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 में निहित दिशा निदेशों के अनुसार की जाएगी। मेधा कोतवाललेले और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य का मामला।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करते समय एक एनजीओ सदस्य का होना अनिवार्य है।
- समिति को शिकायत मिलने की तारीख से 1 महीने की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणीयों/सिफारिशों के साथ विशिष्ट निष्कर्ष को समस्त सहायक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- समिति का कार्यकाल अनुमोदन की अवधि से तीन वर्ष के लिए होगा।

मनीष कुमार श्रीवास्तव
24/09/2025

(मनीष कुमार श्रीवास्तव)
पीएम श्री के. वि. ए. एम.सी. लखनऊ
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय ए.एम.सी. लखनऊ

वितरण: समस्त सम्बन्धित को

कार्यालय-वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एवं गार्ड फाइल हेतु